झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02त0शि0 / योजना–08 / 2023 / राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

विषय :– **झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य के लिए होनेवाले सम्भावित व्यय के निमित कुल रू0 2,29,36,840/– (रू0 दो करोड़ उनतीस लाख छतीस हजार आठ सौ चालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

झारखंड सरकार द्वारा झारखंड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची की स्थापना विज्ञान का प्रचार–प्रसार करने एवं आम–जनों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने, विज्ञान केंद्रों, साईंस सिटी, तारामंडल, इनोवेशन हब आदि की स्थापना करने, शोध–अन्वेषण कार्य, वर्कशॉप, सेमिनार आदि के आयोजन के उद्देश्य से की गई है।

2) झारखण्ड राज्य में विज्ञान का प्रचार–प्रसार राज्य के दूरस्थ गांव तक किये जाने के उद्देश्य से विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 07/योजना दिनांक 16.05.2023 द्वारा कुल रू0 2,18,44,160/– मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता के सहयोग से जुलाई 2023 से 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस "Food & Health" तथा "Machines in Daily Life" विषयों पर संचालित किया जा रहा है, जिससे अबतक कुल 183 विद्यालयों के लगभग 95200 छात्र/छात्राऍ, 2100 शिक्षक/शिक्षिकाऍ एवं 7200 सामान्य जन लाभान्वित हुए हैं।

3) उपरोक्त दो मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस के संचालन से छात्र–छात्राओं में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस की बढती हुई लोकप्रियता को देखते हुए दिनांक 27.09.2023 को विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में परिषद की कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक में दो अन्य थीम पर दो अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस के संचालन पर विचार करने का सुझाव दिया गया।

4) विदित हो कि NCSM, कोलकाता भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अन्तर्गत संचालित एक स्वायत संस्था है, जो केन्द्र सरकार द्वारा साईंस सिटी, विज्ञान केन्द्र तथा इनोवेशन हब आदि की स्थापना हेतु अधिकृत है इसे Mobile Science Exhibition Bus की स्थापना एवं संचालन में भी दक्षता प्राप्त है।

5) उपरोक्त के आलोक में "Chemistry & Life (with focus on water)" तथा "Space Technology for Human Welfare" विषयों पर दो अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस का संचालन किया जा सकता है, जिससे राज्य के छात्र–छात्राओं को भविष्य में रसायन विज्ञान, जल की गुणवत्ता में सुधार, जल शोधन के तरीके, स्पेस टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में शोध कार्य करने एवं संबंधित नए–नए इनोवेशन करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा एवं आमजनों को भी इन क्षेत्रों में हो रहे आविष्कारों एवं गतिविधिओं की जानकारी प्राप्त होगी।

6) तत्पश्चात JCSTI का पत्रांक 299 दिनांक 27.12.2023 द्वारा दो भिन्न विषय पर दो अतिरिक्त Mobile Science Exhibition Bus की संचालन हेतु NCSM, कोलकाता से वार्षिक व्यय विवरणी के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके आलोक में NCSM, कोलकाता का Email दिनांक 10.01.2024 तथा 03.06.2024 द्वारा दो भिन्न विषय पर Mobile Science Exhibition Bus (MSE) की संचालन के विन्दु पर संहमति दी गयी तथा NCSM, कोलकाता का पत्रांक 4026 दिनांक 21.02.2024 द्वारा वार्षिक व्यय विवरणी के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है। जिसमें यह उल्लेख है कि –

"वर्ष 2022 एवं 2023 में एम0एस0ई0 के संचालन के लिए JCSTI तथा NCSM के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट है, वर्ष 2023 में एक एम0एस0ई0 के संचालन पर खर्च रूपये 45.15 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त) था। अतः प्रत्येक एम0एस0ई0 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 5% की वार्षिक वृद्धि की दर से वर्ष 2024 के लिए अनुमानित लागत रूपये 47.41 लाख तथा 2025 के लिए रूपये 49.78 लाख होगी (18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त)। अनुमानित लागत में यह मामूली वृद्धि साल भर उपयोग के कारण बस एवं प्रदर्शों के रखरखाव, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स के प्रतिस्थापन, बीमा आदि पर आये खर्च को वहन करने के लिए है। इसके अतिरिक्त एम0एस0ई0 के परिचालन के लिए तैनात जनशक्ति के वेतन में वृद्धि भी अनुमानित लागत में समाहित है"।

7) Mobile Science Exhibition Bus की संचालन हेतु NCSM, कोलकाता के द्वारा वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 के लिए समर्पित प्राक्कलित दर की Reasonability के विन्दु पर विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 418 दिनांक 18.04.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा जॉच की गयी एवं समिति द्वारा प्रतिवेदित है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अन्तर्गत संचालित NCSM, जिसने अपने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए Mobile Science Exhibition Bus के संचालन हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन में दिये गये दर को Reasonable माना जा सकता है।

8) इस प्रकार NCSM, कोलकाता के द्वारा उपलब्ध कराया गया दो भिन्न विषय यथा – Chemistry & Life (with focus on water)" तथा "Space Technology for Human Welfare" पर आधारित दो अतिरिक्त Mobile Science Exhibition Bus के संचालन हेतु वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 का वार्षिक व्यय विवरणी निम्नवत् है।

वर्ष 2024 हेतु प्राक्कलन	वर्ष 2025 हेतु प्राक्कलन
02 बस हेतु रु0 1,11,88,760/– (रु0 47.41 लाख +18% GST = रु0 55.9438 लाख प्रति बस की दर से)	02 बस हेतु रु0 1,17,48,080/– (रु0 49.78 लाख + 18%GST = रु0 58.7404 लाख प्रति बस की दर से)
कुल रू0 2,29,36,840/–	

9) JCSTI, Ranchi द्वारा उक्त मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस के भ्रमण का कार्यक्रम एवं सारणी (Schedule) निर्धारित कर NCSM, कोलकाता को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित जिला के उपायुक्त के निदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)/जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) जिले के विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर JCSTI द्वारा निर्धारित समय–सारणी अनुसार विद्यालयों में मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस का भ्रमण कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। मोबाइल साईंस एग्जीबिशन बस संबंधित जिला के DEO /DSE को रिपोर्ट करेंगे।

10) अतः झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य के लिए होनेवाले सम्भावित व्यय के निमित कुल रू0 2,29,36,840/– (रू0 दो करोड़ उनतीस लाख छतीस हजार आठ सौ चालीस) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

11) 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) संचालित करने हेतु अग्रिम के रूप में राशि रू0 2,18,44,160/– (दो करोड़ अठारह लाख चौवालिस हजार एक सौ साठ रूपये) (वर्ष 2023 में संचालन के पूर्व राशि रु0 1,06,55,400/– मात्र एवं वर्ष 2024 में संचालन के पूर्व राशि रु0 1,11,88,760/– मात्र) भुगतान की जायेगी।

12) उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–004/796–अनुसंधान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–41–झारखण्ड कौंसिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, रॉची–सहायता अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06– अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

13) उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, रॉची होंगे एवं राशि की निकासी झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के PL खाता में संधारित राशि से की जायेगी।

14) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

15) राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अतंर्गत होगा।

16) स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

17) राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन अनिवार्य होगा।

18) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की भुगतान बैंक अकाउंट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

19) राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।

20) वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष–8448 से राशि की निकासी की जाएगी।

21) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।

22) प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

23) प्रस्ताव वित्त विभाग की सशर्त्त सहमति प्राप्त है। विभाग द्वारा गठित टीम ने विषयांकित कार्य हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता द्वारा समर्पित प्राक्कलन में दिये गये दर को Reasonable माना है।

24) स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता एवं झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के बीच एकरारनामा (MoU) हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसमें राशि के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें विधि विभाग द्वारा विधिक्षित एकरारनामा दिनांक 31.05.2023 के अनुसार होगी।

25) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.08.2024 में मद सं0 27 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

26) स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड तथा वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

27) व्यय विवरणी टी0 वी0 नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिक सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 02.त0शि0/योजना–08/2023 /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 02.त0शि0/योजना–08/2023/17/योजना/राँची, दिनांक – 09.09.2024

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/कुलपति, सभी राजकीय विश्वविद्यालय, झारखण्ड/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/निर्गत शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.9.24
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02. त0शि0/योजना–18/2024 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के चाहरदीवारी के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू0 2,49,17,000/– (रू0 दो करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह का निर्माण एवं स्थापना किये जाने की राज्य सरकार का निर्णय है। इस संबंध में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह का स्वीकृत्यादेश सं0 1592 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा अंचल–गिरिडीह, मौजा–जरीडीह, थाना नं0–104, खाता नं0–180, प्लॉट नं0–1390, रकवा–35 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि हस्तांतरित की गयी है। उक्त हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु तत्काल चाहरदीवारी निर्माण के निमित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन प्राप्त किया गया है। चाहरदीवारी निर्माण कार्य छोड़ कर ही राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह का DPR तैयार की जायेगी। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1972 (नि0) दिनांक 13.08.2024 द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के लिए हस्तांतरित भूमि के चाहरदीवारी निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 608/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25, Page No. 269 दिनांक 13.08.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू0 2,49,17,000/–(रू0 दो करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। विषयांकित कार्य की विवरणी निम्नवत् है –

क्र0	अवयव के नाम	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Entrance Gate with Security Room	11,27,801.00
2	Boundary Wall	1,86,19,411.00
3	Total (A)	1,97,47,212.00
4	Add 18% for GST on (A)	35,54,498.00
5	Total (B)	2,33,01,710.00
6	Add 1% for Labour Cess on (B)	2,33,017.00
7	Add JSBCCL Charges	13,82,305.00
8	Grand Total	2,49,17,032.00
9	Say	2,49,17,000.00
	(रू0 दो करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार) मात्र	

अतः उक्त के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के लिए हस्तांतरित भूमि के चाहरदीवारी निर्माण आदि कार्य के लिए कुल रू0 2,49,17,000/– (रू0 दो करोड़ उनचास लाख सत्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

(ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 04 (चार) माह होगी।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
6. कार्य की प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा की जायगी।
7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
9. विषयांकित कार्य हेतु राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में की जायेगी।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–18/2024 /रॉची, दिनांकः–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02. त0शि0/योजना–18/2024 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–18/2024/15/योजना /रॉची, दिनांकः– 09.09.2024
प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, गिरिडीह/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.9.24

सरकार के प्रधान सचिव